

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1- सत्यनारायण पिता गोपाल लाल वैष्णव निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- वादी

बनाम

1- मीठू दास पिता सालगदास साधू निवासी डाबला चांदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टि0एक्ट

मुकदमा नम्बर 20/2023 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वादी द्वारा वाद पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वाद विद्धो करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 25 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा